


कार्यालय, नगर निगम, आदित्यपुर

आम सूचना

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी भुखामी / नागरिकों / बिल्डरों आदि को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड भवन उपविधि 2016 के अधिसूचित होने की तिथि 05.04.2016 के पूर्व बिना स्वीकृति के निर्मित भवनों के नक्शों घटनोत्तर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 3263 दिनांक 18.05.2017 द्वारा संकल्प प्राप्त है। संकल्प में उल्लेखित निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :—

- 2.1 झारखण्ड भवन उपविधि 2016 के अधिसूचित होने की तिथि 05.04.2016 के पूर्व निर्मित वैसे भवन जिसके निर्माण के पूर्व किसी सक्षम प्राधिकार से तत्संबंधी नक्शे स्वीकृत नहीं कराये गये हैं की घटनोत्तर स्वीकृती तत्समय संबंधित प्राधिकार के प्रदृढ़ भवन उपविधि के प्रावधानों के अनुसार 31.12.2017 तक दिये जा सकेंगे।
- 2.2 इस प्रावधान के तहत भवन (संशोधन) उपविधि 2017 की अधिसूचना की तिथि 15.05.2017 के 6 (छ.) महीने की अवधि तक, सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, आदित्यपुर

ज्ञापांक 1219

दिनांक 25.5.17
प्रतिलिपि : विज्ञापन प्रबंधक, दैनिक भास्कर/प्रभात खबर, आदित्यपुर, जमशेदपुर को अपने स्थानीय दैनिक सामाचार पत्र के एक अंक में न्यूनतम साईंज पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, आदित्यपुर